

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

क्रमांक :- पी(1)कार्मिक/निजी.चिकि./31/2013-14/3230

दिनांक:- 5/3/14

-: कार्यालय-आदेश :-

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अन्तर्गत हाऊसिंग बोर्ड कार्मिकों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये निम्नलिखित निजी चिकित्सालय को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है।

क्र. सं.	चिकित्सालय का नाम व पता	दूरभाष/मोबाईल नम्बर	मण्डल कार्मिकों को देय छूट
1.	इंटरनल हार्ट केयर सेन्टर एण्ड रिसर्च इन्सटीट्यूट प्राईवेट लिमिटेड, 3 ए जगतपुरा रोड, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर - 302020।	76650 22224 -6	10% छूट (चिकित्सक परामर्श/पैथोलोजिकल एवं रेडियोलोजिकल जॉब्स/नॉन इनवेसिव कार्डियोलोजी (ईको, टीएमटी आदि)/रूम रेन्ट, आईसीयू सहित 5% छूट सर्जरी पैकेजेज पर (बाईपास, एनजियोप्लास्टी आदि)

उक्त आदेश को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है, तथा मण्डल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

- 30 -
(दिनेश कुमार पंवार)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/ आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता-मु./1/II, रा0आ0म0, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि0स0 एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा0आ0मंडल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता- प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0आ0मंडल, जयपुर/जोधपुर।
4. निदेशक विधि/अति. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य संपदा प्रबंधक/उप सचिव/वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक/संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) रा0आ0मंडल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त-...../आवासीय अभियन्ता, खण्ड-.....।
6. समस्त प्रकोष्ठ मुख्यालय राज0 आवासन मंडल, जयपुर।
7. लेखाधिकारी (भुगतान/पेंशन)/एसीआर/गोपनीय, प्रकोष्ठ, रा0आ0मंडल, जयपुर।
8. चिकित्सालय-.....
9. रक्षित पत्रावली।

4/3/14
सचिव